भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 703

07 फरवरी, 2024 के लिए प्रश्न

सार्वजनिक वितरण प्रणाली कवरेज

703. डॉ. संजीव कुमार शिंगरी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राज्यवार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) कवरेज की गणना के लिए पिछली जनगणना से 2011 की जनसंख्या के आंकड़ों का उपयोग करने के कारण कई लोग प्रणाली की पहुंच से बाहर हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार अनुमानित जनसंख्या आंकड़ों का उपयोग करके इस डेटा को अद्यतन करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को यह भी पता है कि नए डेटा की कमी के कारण राज्य सरकारें पीडीएस में अधिक राशन कार्ड जारी करने में असमर्थ हैं ताकि बहुत से नाम सूची से बाहर न हो जाएं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) क्या सरकार इस संबंध में राज्य सरकारों को कोई सहायता प्रदान करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क) से (ड.): राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) की धारा-9 के अनुसार, प्रत्येक राज्य के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कवरेज के प्रतिशत का निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा और राज्य में कवर किए जाने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या का आकलन उस जनसंख्या अनुमान के आधार पर किया जाएगा जिसके संगत आंकड़े प्रकाशित किए जा चुके हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के समय, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के कवरेज को निर्धारित करने के लिए वर्ष 2011 की जनगणना के नवीनतम प्रकाशित आंकड़ों का उपयोग किया गया था।

.....2/-

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत 75 प्रतिशत तक ग्रामीण जनसंख्या और 50 प्रतिशत तक शहरी जनसंख्या को कवर करने का प्रावधान है, जो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 81.35 करोड़ व्यक्ति हैं।

वर्तमान में, इस अधिनियम के तहत, 81.35 करोड़ की अपेक्षित कवरेज के प्रति, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 80.49 करोड़ लाभार्थियों की पहचान की गई है। इस अधिनियम का लाभ सुनिश्चित करने के लिए समाज के कमज़ोर और जरूरतमंद वर्गों को पर्याप्त कवरेज दिया गया है।

*****